Central Secretariat Library
-3-11-1974
Govt. of India

रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 16, 1974 (कार्तिक 25, 1896)
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 16, 1974 (KARTIKA 25, 1896)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 28th February 1973 :—

अंक Issue	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

- शून्य -
—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	967
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1781
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1241
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2777
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3175
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	387
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	6623
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	809
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	519
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	163
पूरक संख्या 46—	
9 नवम्बर 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	1427
19 अक्तूबर, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु-संबंधी आंकड़े	1439

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	967
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1781
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1241
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2777
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3175
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	387
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	6623
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	809
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	519
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	163
SUPPLEMENT NO. 46	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 9th November 1974	1427
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 19th October, 1974	1439

भाग I—खण्ड 1
(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत् विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्तूबर 1974

संकल्प

सं० 33 (14)/74-नीति— केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान, संस्थान, जिसका मुख्यालय बंगलौर में है और स्विचगियर परीक्षण एवं विकास केन्द्र भोपाल में है, की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1960 में निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई थी :—

(i) भारत में विद्युत् ऊर्जा संसाधनों के विवेकपूर्ण और किफायती ढंग से विकास और समुपयोजन से संबंधित विभिन्न समस्याओं की जांच-पड़ताल और अनुसंधान करना ;

(ii) ऐसे परीक्षण और अध्ययन करना जिनसे विद्युत् प्रदाय उद्योग के विभिन्न पहलुओं में अधिक अच्छे ढंग से तकनीकी दक्षता और किफायत प्राप्त की जा सके;

(iii) विद्युत् प्रदाय सुविधाओं के द्रुत विकास के लिए देशी सामग्री संसाधनों के समुपयोजन के लिए प्रायोगिक अनुसंधान द्वारा उपस्कर के उपयुक्त अभिकल्प और स्वरूपों का विकास करना;

(iv) देश में विद्युत् उपस्कर की निर्माणकारी शक्यता को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए प्रायोगिक अनुसंधान कार्य करना जिससे कि बृहदाकार औद्योगिक और कृषि कार्यक्रमों के लिए बिजली की तेजी से बढ़ रही मांग को पूरा किया जा सके।

2. अपने 14 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जबकि संस्थान ने उच्च और निम्न वोल्टता स्विचगियर पर लघु परिपथ (शार्ट सर्किट) के लिए अत्यन्त परिष्कृत आधुनिक उपस्कर प्रतिष्ठापित किया है और इस क्षेत्र में यह परीक्षण सुविधायों की व्यवस्था करता रहा है, वहां विद्युत् उद्योग से संबंधित समस्याओं के बारे में अनुसंधान के सभी पहलू इसके कार्य क्षेत्र में सम्मिलित प्रतीत नहीं होते। संस्थान अपने को उन अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं से अधिक सक्रिय ढंग एवं निकट से संबद्ध करना प्रतीत नहीं होता जिन्हें भारत में विद्युत् आयोग के द्रुत विकास के हित में हल करने की आवश्यकता है ताकि देश आधुनिक विकास का लाभ उठा सके। पंचवर्षीय योजनाओं में विशाल विद्युत् विकास कार्यक्रमों के कारण इस प्रश्न के बढ़े हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक समिति की स्थापना करने का निश्चय किया है जो इस बात का मूल्यांकन करेगी कि संस्थान ने उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सफलता पाई है जिनके लिए उसकी स्थापना की गई थी और वह ऐसे उपायों का सुझाव भी देगी जिसके अनुसार इसके भावी विकास की योजना बनाई जानी चाहिए।

3. समिति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे:—

(1) श्री के० बी० राव, अध्यक्ष
अध्यक्ष, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ।

(2) श्री एस० स्वयम्भु, सदस्य
सलाहकार एवं परामर्शदाता, टाटा उद्योग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग,
बम्बई ।

(3) डा० एच० बी० गोपालकृष्णन्, सदस्य
भारतीय विज्ञान संस्थान,
बंगलौर

(4) श्री के० ए० दवे, अध्यक्ष, सदस्य
गुजरात राज्य बिजली बोर्ड,
बड़ौदा ।

(5) श्री टी० बी० बालकृष्णन्, सदस्य
महाप्रबन्धक, अनुसंधान और विकास,
भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज़ लिमिटेड,
हैदराबाद ।

(6) श्री एल० जे० साने, सदस्य
परामर्शदाता, ऊर्जा मंत्रालय
(विद्युत् विभाग) चाणक्य भवन,
विनय मार्ग, नई दिल्ली-21

(7) निदेशक, सदस्य-सचिव
केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान संस्थान,
बंगलौर ।

4. यह समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :—

(i) केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान संस्थान के कार्य की समीक्षा करना और यह मूल्यांकन करना कि संस्थान ने उन उद्देश्यों की प्राप्ति में किस हद तक सफलता प्राप्त की है जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी ।

(ii) ऐसे निर्देशन और उस सीमा, जिस तक इन उद्देश्यों में संशोधन किए जाने चाहिएं, की जांच-पड़ताल और विचार विमर्श करना, ताकि पांचवीं

तथा उसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत् विकास के वृहद् और विशाल कार्यक्रम की आवश्यताओं को पूरा किया जा सके।

(iii) संस्थान के संगठनात्मक ढांचे का पुनरवलोकन करना और ऐसे उपायों का निर्देश देना जिनके अनुसार इसमें सुधार किए जा सकें अथवा इसे सुदृढ़ बनाया जा सके।

(iv) विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की व्यवस्था के तरीके और भरती की पद्धतियों की जांच-पड़ताल करना और ऐसे संशोधनों, यदि कोई हों, की सिफारिश करना जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थान एक उच्च स्तरीय अनुसंधान संस्थान के संशोधित उद्देश्यों को प्राप्त करेगा।

(v) देश में उपलब्ध अनुसंधान संबंधी सुविधाओं के अधिकतम समुपयोजन के लिए संस्थान, अन्य अनुसंधान संगठनों और विद्युत् प्रदाय उद्योग के बीच निकट समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए क्रियाविधि का सुझाव देना जिससे कि दोहरे प्रयत्नों से बचा जा सके।

(vi) अभिकल्पों, विशिष्टियों और उपस्कर आदि के मानकीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, दक्षता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित ऐसी और सिफारिशें करना।

5. समिति 4 महीने की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र, भाग एक, खण्ड-एक में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकर के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ-शासित क्षेत्रों के प्रशासनों और समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को भेज दी जाए।

आनन्द स्वरूप शर्मा,
संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(सामुदायिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर 1974

सं० एस-21011/7/74-ग्रा० ज० रो०—ग्राम रोजगार प्रधान पाइलट परियोजना के बारे में 15 जनवरी, 1974 को हुए राज्य अधिकारियों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि कृषि मंत्रालय कुछेक चुने ग्राम रोजगार प्रधान पाइलट परियोजना खण्डों का सामाजार्थिक अध्ययन कराने के लिए प्रबन्ध करे, ताकि ग्राम रोजगार प्रधान पाइलट परियोजना के प्रभाव की जांच की जा सके। यह अध्ययन ग्राम रोजगार प्रधान पाइलट परियोजना के कार्यान्वयन के कुछेक अनुसंधान पहलुओं के बारे में राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले अध्ययनों के अलावा किया जाना है। इस अध्ययन को विभिन्न राज्यों में अनुसंधान संस्थानों को सौंपने का विचार है। इस अध्ययन के उद्देश्य, क्षेत्र तथा कार्य पद्धति निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है।

2. इस समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :—

(1) डा० एम० एल० दांतवाला, बम्बई विश्वविद्यालय। — अध्यक्ष

(2) श्री आर० एन० आजाद, संयुक्त सचिव, सामुदायिक विकास विभाग। — संयोजक

(3) श्री जी० वी० के० राव, मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार। — सदस्य

(4) श्री डी० एस० तुंगरे, उप-सचिव आयोजना, महाराष्ट्र सरकार। — सदस्य

(5) श्री डी० के० शर्मा, परियोजना निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार। — सदस्य

(6) डा० श्रीमती आर० थामाराजाक्षी, निदेशक, कृषि मूल्य आयोग। — सदस्य

(7) श्री जी० सी० माथुर, सहायक आयुक्त, सामुदायिक विकास विभाग। — सदस्य-सचिव

3. इस समिति के विचारणीय विषय निम्न होंगे :—

(क) किये जाने वाले अध्ययन के उद्देश्य, क्षेत्र तथा कार्य-पद्धति निर्धारित करना।

(ख) कामगारों, सरकारी कर्मचारियों, गैर-सरकारी व्यक्तियों, पंचायती राज संस्थाओं और दूसरों से भराने के लिये प्रश्नावलियां बनाना।

(ग) यह बताना कि किन अनुसंधान संस्थानों को अध्ययन सौंपा जाये।

(घ) अध्ययन कराने के लिए मार्ग-दर्शन देना।

(ङ) अनुसंधान संस्थानों से मिलने वाली रिपोर्टों का अध्यन करना।

(च) ग्राम रोजगार प्रधान पाइलट परियोजना के कार्यान्वयन के अनुभव का मूल्यांकन करना ताकि भविष्य में रोजगार के बारे में नीति और कार्यक्रम अपनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किये जायें।

4. यह समिति कार्य के लिए अपनी पद्धति बनायेगी और दिसम्बर, 1975 तक अपनी रिपोर्ट दे देगी।

5. इस समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता, सामुदायिक विकास विभाग के बजट में ग्राम

रोजगार प्रधान पाइलट परियोजना के प्रशासन तथा निदेशन पर होने वाले व्यय के लिये किए गए प्रावधान से दिया जायेगा। यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी सदस्य केन्द्रीय सरकार के ग्रेड-I अधिकारी माने जायेंगे।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की कापी सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए।

यह भी आदेश है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर० एन० आजाद,
संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर 1974

संकल्प

सं० 5/3/74-एफ० पी० सी० (बी)—फिल्म जांच समिति, 1951 की सिफारिशों के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 1960 में देश में फिल्म निर्माण में कला और शिल्प में वैज्ञानिक और योजनाबद्ध रूप से तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए सुविधायें प्रदान करने और इस प्रकार भारतीय फिल्मों के तकनीकी और सौन्दर्यात्मक स्तरों में सुधार करने में सहायता देने के प्रयोजन से पूना में भारतीय फिल्म संस्थान स्थापित किया था। इसका कार्यक्षेत्र टेलीविजन तक बढ़ने पर इस संस्थान का नाम बदल कर भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान रखा गया। इस संस्थान ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य किया।

2. नवम्बर, 1971 में सरकार ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूना के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने संस्थान की विभिन्न गतिविधियों की व्यापक समीक्षा का काम हाथ में लिया और संस्थान में शिक्षण, अनुसंधान और प्रशासन संबंधी कार्य में सुधार करने के प्रयोजन से अनेक सिफारिशें कीं। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश भी की कि संस्थान को अधिक मात्रा में प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

3. इस सिफारिश के अनुसरण में भारत सरकार ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूना को 1 अक्तूबर, 1974 से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट (21), 1860 के अधीन एक स्वायत्तशासी सोसाइटी के रूप में परिवर्तित कर दिया है।

4. नये संस्थान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(1) भूतपूर्व भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का प्रशासन और प्रबंध अपने हाथ में लेना और चलाना;

(2) भारत में फिल्म संबंधी शिक्षा में उच्च स्तर स्थापित करने के लिए स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर टेलीविजन सहित फिल्म कला की सभी शाखाओं में शिक्षण के उपयुक्त तरीकों को विकसित करना;

(3) भारतीय फिल्मों के तकनीकी स्तरों को उठाने के लिए सतत प्रयत्न करना ताकि उनको सौन्दर्य की दृष्टि से और अधिक सन्तोषजनक तथा ग्राह्य बनाया जा सके;

(4) सिनेमा तथा टेलीविजन के क्षेत्र में नये विचारों तथा नई प्रविधियों को विकसित करना तथा इन विचारों से युक्त तथा इन प्रविधियों में प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना;

(5) भारत में फिल्म उद्योग तथा टेलीविजन संगठनों दोनों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना; तथा

(6) फिल्म माध्यम की केवल मनोरंजन के माध्यम के रूप में ही नहीं अपितु शिक्षा और कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भी क्षमताओं के प्रति भावी फिल्म निर्माताओं में नई जागृति उत्पन्न करना।

5. सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के सदस्यों से युक्त सोसाइटी ने 1 अक्तूबर, 1974 से संस्थान को संभाल लिया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों तथा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूना को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० एम० मुर्शीद,
निदेशक

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 1974

सं० क्यू-16011/2/74-डब्ल्यू० ई० (1)—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4(iii) और (vi) के साथ पढ़े गए नियम 3(ख) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्द्वारा श्री दलजीत सिंह उप-सचिव, श्रम मंत्रालय को पहली अक्तूबर, 1974 से श्री के० डी० हजेला, भूतपूर्व उप-सचिव, श्रम मंत्रालय, के स्थान पर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदनुसार, 20 दिसम्बर, 1958/29 अग्रहायण, 1880 के भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में

प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्या ई० एण्ड पी०-4(24)/58, दिनांक 12 दिसम्बर, 1958 में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे :—

वर्तमान प्रविष्टि, अर्थात्

" 1. श्री के० डी० हजेला, उप-सचिव,
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय,
नई दिल्ली",

के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"1. श्री दलजीत सिंह,
उप-सचिव,
श्रम मंत्रालय,
नई दिल्ली।"

सं० क्यू-16011(2)/74-डब्ल्यू० ई०(2)—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 8 के अनुसरण में भारत सरकार एतद्द्वारा श्री दलजीत सिंह, उप-सचिव, श्रम मंत्रालय, को पहली अक्तूबर, 1974 से श्री के० डी० हजेला, उप-सचिव, श्रम मंत्रालय के स्थान पर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के बोर्ड आफ गवर्नर्स के सदस्य के रूप में नामित करती है।

जे० आर० बागूची,
अवर सचिव

MINISTRY OF ENERGY
(DEPARTMENT OF POWER)

New Delhi, the 21st October 1974

RESOLUTION

No. 33(14)/74-Policy.—The Central Power Research Institute was set up by the Government of India in 1950 with headquarters at Bangalore and its Switchgear Testing and Development Station at Bhopal, with the following objectives :—

(i) to undertake investigation and research on various problems connected with the development and utilisation of electrical energy resources in India in a rational and economical manner;

(ii) to conduct such experiments and studies as would lead to better technical efficiency and economy in various aspects of the power supply industry;

(iii) to develop, through applied research, suitable design and types of equipment for utilising indigenous material resources for rapid growth of power supply facilities; and

(iv) to undertake applied research to help promotion of the manufacturing potential of electrical equipment in this country to meet the rapidly increasing demand for power from large-scale industrial and agricultural programmes.

2. During the 14 years of its existence, while the Institute has installed highly sophisticated modern equipment for short circuit tests on high and low voltage switchgear and has been providing testing facilities in this area, it does not seem to cover all aspects of research on problems relating to electricity industry. The Institute does not appear to be involving itself more actively and closely with a large number of important problems which need to be solved in the interest of quick development of electricity industry in India enabling it to take advantage of modern development. The question having assumed greater importance in view of the massive power development programmes in the Five Year Plans, the Government of India have decided to set up a Committee to assess the extent to which the Institute has succeeded in achieving the objectives with which it was set up as also to suggest the lines on which its future development should be planned.

3. The Committee will consist of the following :—

Chairman

(1) Shri K. B. Rao, Chairman,
National Industrial Development Corporation.

Members

(2) Shri S. Swayambu, Adviser and Consultant to Tatas and Atomic Energy Department, Bombay.

(3) Dr. H. V. Gopalakrishnan,
Indian Institute of Science,
Bangalore.

(4) Shri K. A. Dave, Chairman,
Gujarat State Electricity Board,
Baroda.

(5) Shri T. V. Balakrishnan,
General Manager, Research and Development,
Bharat Heavy Electricals Limited,
Hyderabad.

(6) Shri L. J. Sane, Consultant.
Ministry of Energy (Department of Power).

Member-Secretary

(7) Director, Central Power Research Institute,
Bangalore.

4. The Committee will :

(i) Review the working of the Central Power Research Institute and assess the extent to which it has succeeded in achieving the objectives with which it was set up.

(ii) Examine and consider the direction and the extent to which these objectives should be revised to meet the requirements of the large and ambitious programme of power development in the Fifth and subsequent Five Year Plans.

(iii) Review the organisational structure of he Institute and to indicate the lines on which it should be improved or strengthened.

(iv) Examine the staffing pattern and the methods of recruitment at various levels and to recommend modifications of any, to ensure that the Institute achieves the revised objectives of a high level Research Institute.

(v) Suggest the mechanism for ensuring close coordination between the Institute, other Research Organisations and the electricity supply industry for optimum utilisation of the research facilities

available in the country so as to avoid duplication of efforts.

(vi) Make such other recommendations as are calculated to achieve efficiency, keeping in view the need for standardisation if designs, specifications, equipment, etc.

5. The Committee will submit its report within a period of four months.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, all State Governments/Administrations of Union Territories and the Chairman/Members of the Committee.

A. S. SHARMA
Joint Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT)

New Delhi, the 10th October 1974

RESOLUTION

No. M. 21011/7/74-RME.—The Conference of State Officers on the Pilot Intensive Rural Employment Project held on January 15, 1974 recommended that the Ministry of Agriculture should make arrangements for conducting a socio-economic study of certain selected PIREP blocks in order to be able to examine the impact of the PIREP. This study has to be in addition to the studies into certain research aspects of implementation of the PIREP which are to be conducted by the State Governments. The study is proposed to be entrusted to research institutions in different States. With a view to laying down the objectives, scope and methodology of the study, it is proposed to constitute a committee.

2. The composition of the Committee will be :

Chairman

(1) Dr. M. L. Dantwala, University of Bombay.

Convenor

(2) Shri R. N. Azad, Joint Secretary, Department of Community Development.

Members

(3) Shri G. V. K. Rao, Chief Secretary, Government of Karnataka.

(4) Shri D. S. Tungare, Deputy Secretary, Planning, Government of Maharashtra.

(5) Shri D. K. Sharma, Project Director, Government of Madhya Pradesh.

(6) Dr. Mrs. R. Thamarajakshi, Director, Agricultural Prices Commission.

Member-Secretary

(7) Shri G. C. Mathur, Assistant Commissioner, Department of Community Development.

3. The terms of reference of the committee will be :

(a) to lay down the objectives, scope and methodology in respect of the study to be conducted.

(b) to lay down the questionaires to be canvassed from the workers, officials, non-officials, Panchayati Raj Institutions and others,

(c) to indicate the research institutions to be entrusted with the study,

(d) to provide guidance in the conduct of the studies.

(e) to study the reports to be received from the research institutions,

(f) to evaluate the experience of the implementation of the PIREP with a view to formulating guidelines for the adoption of policy and programmes in respect of employment in the future.

4. The committee will draw up its own procedure for work and submit its reports by December 1975.

5. T.A. and D.A. of the non-official members of the committee will be met from the provision made for accommodating the expenses of Administration and Direction for PIREP in the budget of the Department of Community Development. The non-official members will be treated as Grade I Officers of the Central Government for the grant of T.A. and D.A.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. N. AZAD
Joint Secretary

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 23rd October 1974

RESOLUTION

No. F. 5/3/74-FPC(B).—Following the recommendations of the Film Enquiry Committee, 1951, the Government of India had established in 1960 the Film Institute of India at Poona with the object of providing within the country, facilities for imparting technical training in a scientific and systematic manner, in the art and craft of film-making and thus helping in the improvement of technical as well as aesthetic standards of Indian films. With the extension of its sphere of activity to television, the Institute was renamed as the 'Film and Television Institute of India'. This Institute functioned as a subordinate office of the Ministry of Information and Broadcasting.

2. In November 1971, the Government of India appointed a Committee to enquire into the working of the Film and Television Institute of India, Poona. This Committee undertook a comprehensive review of various activities of the Institute and made a series of recommendations aimed at improving the teaching, research and the administrative functioning of the Institute. The Committee *inter alia* recommended that the Institute should be given much larger measure of administrative autonomy to enable it to achieve its objectives.

3. Following this recommendation the Government of India converted the Film and Television Institute of India, Poona into a self-governing Society under the Societies' Registration Act (XXI) of 1860 with effect from the 1st October, 1974.

4. The aims and objectives of the new Institute are as follows :

(1) to take over and carry on the administration and management of the former Film and Television Institute of India;

(2) to develop suitable patterns of teaching in all branches of film art including television, both at undergraduate and post-graduate levels so as

to establish high standards of film education in India;

(3) to constantly endeavour at raising the technical standards of Indian films so as to make them aesthetically more satisfying and acceptable;

(4) to facilitate regular inflow of fresh ideas and new techniques in the field of cinema and television and a corresponding outflow of trained personnel imbibing these ideas and techniques;

(5) to produce trained manpower both for the growing needs of the film industry and television organisations in India; and

(6) to create a new awareness among the future film-makers of the potentialities of film medium as a means of not only entertainment but also of education and artistic expression.

5. The Society comprising both official and non-official members has taken over the Institute with effect from 1st October, 1974.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to all Ministries and Departments of the Government of India and the Film and Television Institute of India, Poona.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. M. MURSHED
Director

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 19th October 1974

No. Q-16011(2)/74-WE(I).—In pursuance of rule 3(b) read with rule 4(iii) and (vi) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby appoints Shri Daljit Singh, Deputy Secretary, Ministry of Labour, as a member on the Central Board for Workers' Education, in place of Shri K. D. Hajela, formerly Deputy Secretary in the Ministry of Labour, with effect from the 1st October, 1974.

2. The following changes shall be made accordingly in the Ministry of Labour and Employment Notification No. E&P. 4(24)/58, dated the 12th December, 1958, published in the Gazette of India Part I, Section 1, dated December 20, 1958/Agrahayana 29, 1880, as amended from time to time :—

For the existing entry viz :—

"1. Shri K. D. Hajela, Deputy Secretary, Ministry of Labour and Rehabilitation, New Delhi",

the following entry shall be substituted viz :—

"1. Shri Daljit Singh, Deputy Secretary, Ministry of Labour, New Delhi."

No. Q-16011(2)/74-WE(II).—In pursuance of Rule 8 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby nominates Shri Daljit Singh, Deputy Secretary, Ministry of Labour, as a member of the Board of Governors of the Central Board for Workers' Education *vice* Shri K. D. Hajela, Deputy Secretary, Ministry of Labour, with effect from the 1st October, 1974.

J. R. BAGCHI
Under Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974